

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना
शुद्धि पत्र

अधि० सं०-८/गठन/१०७/२०१५/न०वि०आ०-.....५५९७ राँची, दिनांक-.....३०/०८/१७


नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-२०७२, दिनांक-११.०६.२०१५ द्वारा पाकुड़ नगर परिषद् वर्ग 'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या अवधारण संबंधी कंडिका-५ के कॉलम-१० में टंकण भूल के कारण कुल वार्डों की संख्या-२० अंकित है, जबकि उसी कंडिका-५ में वार्ड एवं पार्श्वों की संख्या-२१ अंकित है।

२. वर्ष २०११ की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार पाकुड़ नगर परिषद् वर्ग 'ख' की जनसंख्या ४५८४० होने के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या-२१ एवं पार्श्वों की संख्या भी २१ होगी।

३. अतः विभागीय अधिसूचना सं०-२०७२, दिनांक-११.०६.२०१५ में पाकुड़ नगर परिषद् वर्ग 'ख' में कुल वार्डों की संख्या-२१ एवं पार्श्वों की संख्या-२१ पढ़ा जाए।

४. अधिसूचना सं०-२०७२, दिनांक-११.०६.२०१५ की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

५. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-.....३०/०८/१७

ज्ञापांक-८/गठन/१०७/२०१५/न०वि०आ०.....५५९७

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ/नोडल अधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशोपरान्त ई-गजट की ५० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।


सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-.....३०/०८/१७

ज्ञापांक-८/गठन/१०७/२०१५/न०वि०आ०.....५५९७


प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-.....३०/०८/१७

ज्ञापांक-८/गठन/१०७/२०१५/न०वि०आ०.....५५९७

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

(६)

ज्ञापांक-8/गठन/107/2015/न0वि0आ0.....5597

राँची, दिनांक-30/08/17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-8/गठन/107/2015/न0वि0आ0.....5597

30/08/17
सरकार के उप सचिव।
राँची, दिनांक-30/08/17

प्रतिलिपि:-श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/08/17
सरकार के उप सचिव।